



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 465 राँची, सोमवार,

13 अक्टूबर, 2025 (ई०)

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

तारीख 13 अक्टूबर, 2025/21 आश्विन, 1947 (शक)

100/पूर्वअनु०-1/झार०-वि.स./1/2025:- यतः झारखण्ड राज्य की विधान सभा में **45-घाटशिला (अ०ज०जा०)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य **श्री रामदास सोरेन** के निधन होने के कारण दिनांक 15-08-2025 से स्थान रिक्त हो गया है; और

2. यतः इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप-निर्वाचन कराया जाना है; और

3. अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 150, धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा:-

(अ) झारखण्ड राज्य से उक्त **45-घाटशिला (अ०ज०जा०)** विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करता है कि उक्त अधिनियम के और तद्दीन बनाये गये नियमों और किये गये आदेशों के उपबन्धों के अनुसार **16 नवम्बर, 2025 (रविवार)** से पूर्व राज्य की किसी भी अनुसूचित जनजाति से सम्बन्ध रखने वाले, एक व्यक्ति को, राज्य की विधान सभा में हुई उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से निर्वाचित करें;

(आ) उक्त निर्वाचन के सम्बन्ध में:-

- (क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख : 21 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार)
- (ख) नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख : 22 अक्टूबर, 2025 (बुधवार)
- (ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख : 24 अक्टूबर, 2025 (शुक्रवार)
- (घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा : 11 नवम्बर, 2025 (मंगलवार)
- (ङ.) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा : 16 नवम्बर, 2025 (रविवार)

नियत करता है; और

(इ) 7:00 बजे पूर्वाह्न से 5:00 बजे अपराह्न तक का समय ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो, निर्वाचन के लिए उक्त विनिर्दिष्ट तारीख को मतदान होगा।

आदेश से

(अरविन्द आनन्द)

प्रधान सचिव

भारत निर्वाचन आयोग

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के० रवि कुमार)

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

Dated: 13th October, 2025/21 Asvina, 1947 (Saka)

No.100/ES-I/JKD-LA/1/2025:- WHEREAS, the seat of **Sh. Ram Das Soren**, in the Legislative Assembly of the State of Jharkhand, elected from **45-Ghatsila (ST)** Assembly Constituency in the State, has become vacant on **15-08-2025** by reason of his death; and

2. **WHEREAS**, a bye-election is to be held for the purpose of filling the said vacancy;

3. **NOW, THEREFORE**, in pursuance of sections 150, 30 and 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **Calls upon** the said **45-Ghatsila (ST)** Assembly Constituency in the State of Jharkhand, to elect, before **the 16th November, 2025 (Sunday)** and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person belonging to any of the Schedule Tribes of the State, for the purpose of filling the said vacancy in the Legislative Assembly of the State;

(B) **appoints**, with respect to the said election:-

- | | |
|---|--|
| (a) the 21 st October, 2025 (Tuesday) : | as the last date for making nominations; |
| (b) the 22 nd October, 2025 (Wednesday): | as the date for the scrutiny of nominations; |
| (c) the 24 th October, 2025 (Friday) : | as the last date for the withdrawal of candidatures; |
| (d) the 11 th November, 2025 (Tuesday) : | as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and |
| (e) the 16 th November, 2025 (Sunday) : | as the date before which the election shall be completed; and |

(C) **Fixes the hours** from **7.00 A.M to 5.00 P.M** as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

By order,

(ARVIND ANAND)

PRINCIPAL SECRETARY
ELECTION COMMISSION OF INDIA
